कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक–1657/322 /आउशि/बजट/2018 भोपाल, दिनांक 20/8/18

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय– **अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें–स्टेशनरी प्रदाय योजना अन्तर्गत बजट आंबटन संबंधी 2018–19**

संदर्भ–इस कार्यालय का पत्र (कार्यवाही विवरण) कमांक 214/198 /आउशि/शा–5"अ"/2018, दिनांक 15/23.03.2018

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र (कार्यवाही विवरण) दिनांक 15/23.03.2018 द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को वर्ष 2018–19 के लिए निःशुल्क पुस्तकें प्रदाय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है। (पत्र की प्रति विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध है)

(2) अतः महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों प्रदाय की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार निर्देशों एवं प्रकिया का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जावे।

(3) **मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा** विभाग के आदेश कमांक 1751/825/2012/38–2, दिनांक 05.11.2012 के अनुसार विद्यार्थियों को रूपये 1500/– की पुस्तकें एवं रूपये 500/– की स्टेशनरी निःशुल्क प्रदाय की जाना है।

(4) उपरोक्तानुसार पुस्तकों के अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली स्टेशनरी का कय महाविद्यालय स्तर पर अद्यतन म.प्र. भण्डार कय नियमों का पालन करते हुए किया जावे तथा प्रति विद्यार्थी किट बनाकर प्रदाय की जावे। प्रदाय की जाने वाली स्टेशनरी सामग्री का एक सेट नमूना के रूप में पुस्तकालय में संधारित रखें तथा उस सेट पर प्रदायकर्ता फर्म/शासकीय उपकम के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान संधारित सामग्री के सेट का अवलोकन अधिकारियों को कराया जावे।

(5) स्टेशनरी कय के संबंध में भण्डार कय नियमों के अनुरूप आवश्यकता अनुसार प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्ति को विभागीय बेवसाइट पर भी प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(6) यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थियों को प्रदाय की जाने वाली स्टेशनरी स्टेण्डर्ड हो तथा सामग्री पर दर अंकित होना चाहिए। कय की जाने वाली पुस्तकें एवं स्टेशनरी की गुणवत्ता तथा उपयोगिता सुनिश्चित करते हुए प्रमाणीकरण अंकित किया जावे।

(7) योजना अन्तर्गत कोई भी पात्र विद्यार्थी लाभांवित होने से वंचित नहीं रहे। यदि विद्यार्थी लाभांवित होने से वंचित रहते हैं तो यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

(8) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें–स्टेशनरी प्रदाय करने** संबंधी योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में ग्लोबल बजट व्यवस्था अन्तर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष में राशि उपलब्ध है :–

क.	बजट शीर्ष	योजना का नाम
1	044–2202–03–103–**0102–4699**–51–000	आदिवासी विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें–स्टेशनरी का प्रदाय
2	044–2202–03–103–**0103–4699**–51–000	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें–स्टेशनरी का प्रदाय

(9) अगवत हो कि वित्त विभाग द्वारा व्यय हेतु मासिक एवं त्रैमासिक सीमा निर्धारित की गई है। अतः नियमानुसार यथाशीघ्र तत्काल आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ताकि राशि लैप्स होने की स्थिति निर्मित न हो सके।

(10) यदि गतवर्ष के लंबित देयकों का भुगतान किया जाना हो तो गतवर्ष भुगतान न होने के संबंध में पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए प्रकरण भेजकर इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त होने पर लंबित देयकों का भुगतान किया जावे।

(11) क्रय की जाने वाली पुस्तकें एवं स्टेशनरी का नियमानुसार अभिलेख संधारित किया जावे तथा प्रत्येक छात्र को प्रदाय की जाने वाली पुस्तकें एवं स्टेशनरी की पावती रजिस्टर में सुरक्षित संधारित की जावे। किसी भी प्रकार के अनियमितता की जिम्मेदारी स्वयं संबंधित प्राचार्य की होगी।

(12) कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क. 1658/322/आउशि/बजट/18, भोपाल, दिनांक 20/8/18

प्रतिलिपि :–

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, गुणवत्ता एवं अकादमिक शाखा,उच्च शिक्षा भोपाल
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.सेल, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
6. संचालक,मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, बाणगंगा भोपाल
7. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाऐं सतपुड़ा भवन भोपाल
8. समस्त संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

.....की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश